अध्याय VII : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)

7.1 एपीईडीए द्वारा अप्रभावी मॉनीटरिंग

एपीईडीए द्वारा अप्रभावी मानीटरिंग का परिणाम अपेक्षित उद्देश्य हेतु अनुदान के गैर-उपयोग में हुआ। एपीईडीए ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निधियों पर देय ब्याज के प्रति ₹1.77 करोड़ की हानि उठाई, क्योंकि ब्याज के उद्ग्रहण हेतु समान शर्त, मसाला बोर्ड के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में शामिल नहीं की गई थी।

1986 में स्थापित कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), विभिन्न योजनाओं जैसे परिवहन सहायता, बाजार विकास, अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास आदि के अन्तर्गत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त, निर्यात, निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों के पंजीकरण, निर्धारित उत्पादों के मानदण्ड एवं विनिर्देशन नियत करने, पैकेजिंग एवं उसके विपणन में सुधार के लिए निर्धारित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विकास में कार्यरत है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) ने 'निर्यात अवसंरचना एवं सहायक क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई)' योजना के अन्तर्गत गुना, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क[1] की स्थापना अनुमोदित किया (अगस्त 2010)। परियोजना की कुल लागत ₹45.19 करोड़ थी जिसमें भारत सरकार का अंशदान ₹19.00 करोड़ था। एमओसीआई द्वारा मई 2011 में जारी निधि पद्धति के अनुसार, एपीईडीए को 3000 मी.ट. क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के प्रति ₹6.12 करोड़ (₹3.06 करोड़ दो चरणों में) का अंशदान करना था। परियोजना 31 मार्च, 2013 तक पूरी की जानी थी। एमओसीआई

[1] मसाला पार्क, अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के समरूप प्रोसेसिंग सुविधाएं प्रस्तावित करने वाले मसालों तथा मसाला उत्पादों की प्रोसेसिंग तथा मूल्य संवर्धन हेतु औद्योगिक पार्कों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं।

उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में, एपीईडीए ने 24.06.2011 को हुई अपनी 71वीं बैठक में ₹6.12 करोड़ की वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया जो अवसंरचना विकास योजना के अनतर्गत मसाला पार्क, गुना, एमपी में 3000 मी.ट. (छ: मॉड्यूल - प्रत्येक चरण में तीन मॉड्यूल तथा प्रत्येक मॉड्यूल 500 मी.ट. क्षमता वाले 675 वर्ग मी. आकार था) के कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु मसाला बोर्ड को जारी की जानी थी। समझौता ज्ञापन (एमओयू) 5 जनवरी 2012 को एपीईडीए तथा एसबी के बीच जारी किया गया था।

परिणामत:, एपीईडीए ने मसाला बोर्ड को ₹5.79 करोड़ की कुल राशि जारी की अर्थात ₹3.06 करोड़ की पहली किश्त फरवरी 2012 में तथा ₹2.73 करोड़ की दूसरी किश्त मार्च 2013 में (प्रोसेसिंग शुल्क के प्रति ₹0.29 करोड़ की राशि सहित)। मसाला बोर्ड ने एपीईडीए को सूचित किया (जुलाई 2016) कि 374 मी.ट. क्षमता का एक कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है (अनुमोदन के अनुसार परिकल्पित 3000 मी.ट. क्षमता के बजाए)। अब तक बनाई गई केवल ₹0.80 करोड़ की क्षमता की आनुपातिक लागत को ध्यान में रखते हुए, एपीईडीए ने ₹4.99 करोड़ की शेष राशि (अर्थात एपीईडीए द्वारा जारी कुल राशि ₹5.79 करोड़ घटा निर्मित कोल्ड स्टोरेज की ₹0.80 करोड़ की आनुपातिक लागत) वापस करने के लिए मसाला बोर्ड से अनुरोध किया (अगस्त एवं अक्तूबर 2016)। मसाला बोर्ड ने ₹3.84 करोड़ की अप्रयुक्त राशि एपीईडीए को वापिस कर दी (नवम्बर 2016)।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें पायी:

(i) एसबी के साथ एमओयू के पैरा 2 (बी) के अनुसार, एपीईडीए द्वारा दूसरी किश्त, ₹3.06 करोड़ की पहली किश्त के लिए फॉर्मेट जीएफआर 19ए में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त करने के पश्चात् ही वित्तीय वर्ष 2012-13 में जारी की जानी थी। तथापि, एपीईडीए ने मसाला बोर्ड से प्राप्त एक यूसी के प्रति ₹2.73 करोड़ की दूसरी किश्त जारी कर दी (31 मार्च 2013) जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि पहले प्राप्त अनुदान का मालगोदाम/कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के उद्देश्य से उपयोग किया गया था।

एपीईडीए ने इस तथ्य की अवहेलना की कि अनुदान केवल कोल्ड स्टोरेज के लिए अनुमोदित किया गया था तथा एमओयू के पैरा 4 के प्रावधानों, जिसमें यह निर्दिष्ट था कि निधि अथवा सुविधा उस उद्देश्य के अतिरिक्त किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा जिसके लिए वह संस्वीकृत किया गया है, के उल्लंघन में उपर्युक्त यूसी के प्रति दूसरी किश्त जारी कर दी। एपीईडीए ने मासिक/त्रैमासिक आधार पर परियोजना की प्रगति की प्रभावी ढंग से मॉनीटरिंग नहीं की। इसके अतिरिक्त, एसबी द्वारा उक्त आवधिक प्रगति रिपोर्टें भेजने की शर्त भी एमओयू में शामिल नहीं की गई थी। एपीईडी को अगस्त 2013 में, जब उसने परियोजना का भौतिक सत्यापन किया, पता चला कि परियोजना पर सृजित अवसंरचना एमओयू के अनुसार नहीं थी क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने के बजाए परियोजना पर मालगोदाम का निर्माण कर दिया गया था।

(ii) सुविधा के दक्ष कामकाज का निरीक्षण करने तथा परामर्शी भूमिका निभाने के लिए एमओयू क पैरा 7 की शर्तों के अनुसार, मसाला बोर्ड, एपीईडीए, राज्य कृषि/बागवानी विभाग तथा प्रतिनिधियों तथा एपीईडीए के पंजीकृत निर्यातकों को शामिल करते हुए एक मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया जाना था। तद्नुसार, मसाला बोर्ड ने 6 फरवरी 2012 को ही, अर्थात एपीईडीए द्वारा ₹3.06 करोड़ की पहली किश्त जारी करने से पहले, समिति के अपने प्रतिनिधि को नामित किया था। समिति की पहली बैठक 28 फरवरी 2013 को की गई थी, तथापि, एपीईडीए को मई 2013 तक इस प्रगति की जानकारी नहीं थी।

(iii) परियोजना के लिए भारत सरकार के अंशदान की पहली किश्त जारी करते समय (29 सितम्बर, 2010), एमओसीआई ने कार्यान्वयन एजेंसी को अनुबंध में शास्ति की आवश्यक शर्त शामिल करने का निदेश दिया था, ताकि परियोजना में विलम्ब न हो। तथापि, एपीईडीए तथा एसबी के बीच एमओयू (जनवरी 2012) में उसे शामिल नहीं किया गया था। तथापि, एपीईडीए ने एसबी के साथ किए गए एमओयू में उक्त शर्त शामिल करने पर जोर नहीं दिया, हालांकि उसी अवधि के दौरान अन्य

कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एपीईडीए द्वारा किए गए कुछ एमओयू में विशिष्ट शास्ति की शर्त शामिल थी। इस प्रकार, एमओयू में शास्ति शर्त के अभाव में, एसबी पर एक समयबद्ध ढंग में परियाजना को पूरा कराने की जल्दी नहीं थी।

(iv) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने के लिए एमओसीआई आदेश (फरवरी 2012 एवं जनवरी 2013) में शर्त (xvii) पर स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि संस्वीकृति की शर्तें पूरी करने में एपीईडीए के विफल रहने की दशा में वह समस्त अथवा आंशिक भुगतान को उस पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित वापस करने की दायी होगी। तथापि, एपीईडीए ने मसाला बोर्ड के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में समान शर्त शामिल नहीं की थी।

इस प्रकार, मसाला बोर्ड को ₹5.79 करोड़ का अनुदान जारी करने के बावजूद, तीन वर्षों से अधिक के विलम्ब के बाद भी 3000 मी.ट. की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का अभिप्रेत उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, एमओयू में शास्ति की शर्त शामिल न करने के कारण (ताकि परियोजना में विलम्ब न हो), एपीईडीए, एसबी से ₹0.87 करोड़ (₹5.79 करोड़ x पांच प्रतिशत शास्ति x तीन वर्ष अप्रैल 2013 से) की शास्ति वसूल करने में विफल रहा।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014) में कहा कि एपीईडीए ने एमओसीआई के निदेशों का अनुसरण नहीं किया तथा मसाला बोर्ड को ₹5.79 करोड़ राशि की वित्तीय सहायता (अनुदान) जारी की। प्रबंधन ने माना कि मॉनीटरिंग कमेटी के गठन पर मसाला बोर्ड के साथ पत्राचार में सम्प्रेषण के अन्तर थे। प्रबंधन ने यह भी सूचित किया, (नवम्बर, 2016) कि मसाला बोर्ड ने ₹3.84 करोड़ वापिस किए (नवम्बर 2016)।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एपीईडीए ने परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के लिए एमओयू में शास्ति के भुगतान हेतु शर्त शामिल करने के लिए मंत्रालय के निर्देशों (मई 2011) का पालन नहीं किया। एसबी द्वारा अनुदान अन्य उद्देश्य के लिए विपथित किया गया था तथा

चार वर्षों से अधिक तक अभिप्रेत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया तथा 3000 मी.ट. का कोल्ड स्टोरेज अभी तक (नवम्बर 2016) निर्मित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, एपीईडीए को एमओसीआई से प्राप्त अनुदान की संस्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ₹1.77 करोड़[2] की ब्याज का भुगतान करना है। तथापि, अप्रयुक्त अनुदान पर 10 प्रतिशत की दर पर ब्याज के उद्ग्रहण हेतु एसबी के साथ एमओयू में समान शर्त के अभाव के कारण, एपीईडीए, उसे एसबी से वसूल नहीं कर पाएगा।

इस प्रकार, एपीईडीए द्वारा अप्रभावी मॉनीटरिंग के परिणामस्वरूप, अभिप्रेत उद्देश्य के लिए ₹5.79 करोड़ के अनुदान का उपयोग नहीं हुआ क्योंकि तीन वर्ष से अधिक के विलम्ब के पश्चात् कम क्षमता का कोल्ड स्टोरेज बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, एपीईडीए ने मसाला बोर्ड द्वारा वापिस किए गए अप्रयुक्त अनुदान पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज के उद्ग्रहण के संबंध में एमओयू में शर्त शामिल न करने के कारण ₹1.77 करोड़ की हानि उठाई।

मामला दिसंबर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

---

[2] फरवरी 2012 में अदा किया गया ₹3.06 करोड़ का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज 4 वर्षों तक अप्रयुक्त रहा = ₹1.22 करोड़
मार्च 2013 में अदा किया गया ₹2.73 करोड़ का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर बयाज 2 वर्षों तक अप्रयुक्त रहा = ₹0.55 करोड़
कुल = ₹1.77 करोड़